आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 123/2012** **अवधेश राय बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 417/2014 अवधेश राय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 5.2.14 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2848 दिनांक 7.9.12 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 26.5.2012 को पूर्वाह्न 9.30 बजे जन वितरण प्रणाली विक्रेता अवधेश राय अनुज्ञप्ति सं0 110/07 पंचायत–मदारपुर, प्रखंड–अमनौर की दुकान की जॉच अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पानापुर एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मशरक) द्वारा किया गया। जॉच के समय निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयी। यथा– निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पायी गई थी तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे, विक्रेता घर के अन्य सदस्यों द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रेता दूकान से संबद्व उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया कि 2.5 लीटर किरासन तेल 40 रूपया में दिया जाता था। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने विक्रेता से कारणपृच्छा के साथ दूकान से संबंधित सभी अन्य कागजात मूल में मॉग की गई थी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा दिए गए कारणपृच्छा में प्रस्तुत किए गए तर्क से उनके उपर लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपभोक्ताओं के बयान के अवलोकन तथा विश्लेषणोपरान्त विक्रेता के द्वारा बिहार	

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001, विभागीय दिशा–निदेशों एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में अवधेश राय, अनुज्ञप्ति सं0 49/07, पंचायत–मदारपुर, प्रखंड–अमनौर के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलार्थी जॉच की तिथि 26.5.2012 को किरासन तेल के उठाव के लिए मे0 मॉ डिस्ट्रीब्यूटर्स थोक किरासन तेल विकेता, गरखा चला गया था, इस कारण अपीलार्थी दूकान से अनुपस्थित था। यह भी बतलाया कि जॉच की तिथि को कोई पुरूष सदस्य घर में नहीं था, जिसके कारण अपीलार्थी दूकान को बंद कर चाभी अपने साथ ले गया था। चाभी नहीं रहने के कारण कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। यह भी बतलाया कि प्रत्येक माह राशन/किरासन तेल का वितरण अपीलार्थी दूकान से संबंधित उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में करता था। अपीलार्थी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर किसी व्यक्ति ने जान–बूझकर अपीलार्थी को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से अथवा ग्रामीण राजनीति से प्रेरित व पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जॉच दल को गलत व भ्रामक सूचना दिया था, जो सत्य नहीं है। यह भी बतलाया कि अनुज्ञप्ति सं0 49/07 रद्द किया गया है, जबकि अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति सं0 110/07 है। विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों तथा अनुज्ञप्ति शर्त्तों एवं प्रावधानों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से स्पष्ट होता है कि दुकान बंद करने के कारण को जॉच पदाधिकारी द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया है, जबकि अपीलार्थी किरासन तेल उठाव करने के लिए मे0 मॉ डिस्ट्रीब्यूटर्स, थोक किरासन तेल विकेता, गड़खा, सारण गया था। वैसी स्थिति में दुकान का बंद पाया जाना अपने आप में कोई अनियमितता नहीं है। दूसरी ओर अपीलकर्त्ता के विरूद्व किरासन तेल वितरण में अनियमितता संबंधी लगाए गए आरोपों के साक्ष्य के रूप में गवाहों से लिए गए बयान संबंधी कागजात पर

अंकित उपभोक्ता प्रश्नगत विक्रेता की दुकान से सम्बद्ध है या नहीं इससे संबंधित स्पष्ट विवरणी की प्रविष्टि प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा जॉच पदाधिकारी के मन्तव्य को आधार बनाकर अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन के बिना विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त करता हूँ तथा अपील आवेदन स्वीकृत करता हूँ।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 641 /न्यायालय, दिनांक 24/5/2014

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को संबंधित LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
24/5/14 सारण, छपरा।